


अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवेध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० 75 / 19-20

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एव कार्रवाई से संबंधित।


2 23/3/19

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
	<p>झारखंड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० म० निति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा-<u>कीला कुवामा</u> मौजा न०- <u>12</u> खाता न० <u>142</u></p> <p>प्लॉट न० <u>1298</u> रकबा <u>16 क० 4 अ० 14</u> की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पजी-11 के जिल्द संख्या 17 के पृष्ठ संख्या <u>3118</u> पर जमाबंदी रयत <u>श्री प्रवीण कुमार कुमारी</u>, पिता <u>श्री जगदीश</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवेध बंदोबस्ती के आधार प/अवेध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवेध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवेध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक <u>11/3/19</u> को रखें।</p>	


23-3-19
 अंचल अधिकारी,
 धनबाद।

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अभिलेख दिनांक 15/4/19 को रखे।


15.4.19
अचल अधिकारी
धनबाद।

15/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।

अभिलेख दिनांक 28/4/19 को रखे।



15.4.19
अचल अधिकारी
धनबाद।

15/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक

29/4/19 को रखे।


15.6.20
अचल अधिकारी
धनबाद।

15/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा

कौला कुलामा मौजा नं० 12 खाता 142

नं० 1298 रकबा 16 कठ्ठा 4 सहाऊ भूमि से संवधित है। आवंटित

भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआबाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैगल

के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवंटित

भूमि दाखिल खारिज केस नं० के अनुसार कायम है।

तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया


है। जिसे संवधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द


हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि

सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधत।


29.6.19
अचल अधिकारी,
धनबाद।


29.6.20
अचल अधिकारी
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

वाद अमिलेख संख्या- 75 / 2018 (अन्तर्गत धारा-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम श्री प्रवीण कृष्ण अग्रवाल
प्रति श्री जगदीश प्र अग्रवाल
श्री कौला कुशामा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा-.....थाना नं०-.....
खाता नं०-..... खेसरा नं०-..... रकबा-..... से संबंधित आपके नाम से
ह० नं०-..... के पंजी-II भाग..... के पृष्ठ..... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया
राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक-.....को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, मूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए
दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:-

मुहर

अंचल अधिकारी

स्थान:-

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4111

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री. प्रकाश गुप्ता अर्जुन
दा. 01/07/1974 सं. 12/04/1974
ए. जमाबंदी सं. 142

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	धाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>श्री. प्रकाश गुप्ता</u>	<u>12</u>	<u>142</u>	<u>1298</u>	<u>16 05</u> <u>4 50/15</u> <u>14 91/11</u>

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या 17 पृष्ठ सं० 9+18 पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 2006-07

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आबाद

6. किस सक्षम अधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो वस्ती / दा० खा० मु० सं० 864(1)
2006-07 ए. जमाबंदी सं. 142 ए. खाता सं. 142

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री. प्रकाश गुप्ता अर्जुन

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्बाधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोवस्ती -

दा. 01/07/1974 सं. 12/04/1974 ए. जमाबंदी सं. 142 ए. खाता सं. 142

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा

दाखिल रिटर्न / बन्दोवस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निगंत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1</u>	<u>2047874</u>	<u>18-8-06</u>	<u>06-07</u>
<u>2</u>	<u>432025</u>	<u>29-9-08</u>	<u>8-09</u>
<u>3</u>	<u>019010</u>	<u>2-12-15</u>	<u>15-16</u>